न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./112/2013/बाड़मेर

अपीलांट

1. मलसिंह पुत्र धर्मसिंह उम्र 46 वर्ष
2. वेरीसालसिंह पुत्र धर्मसिंह उम्र 43 जाति राजपूत निवासी सिन्धासवा एवं बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी
3. अदरी पुत्री धर्मसिंह उम्र 65 वर्ष पत्नी हकसिंह राजपूत निवासी नरसाणा तहसील भीनमाल हाल बारूड़ी
4. सुआ पुत्री धर्मसिंह उम्र 55 वर्ष पत्नी बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी उदाणियों की ढाणी हाल बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.परबतसिंह गोदपुत्र मानसिंह
2.ढेली देवी पत्नी स्व.मानसिंह जाति राजपूत निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3.केसराराम पुत्र स्व. मूलाराम
4.चैनाराम पुत्र स्व. मूलाराम
5.मांगाराम पुत्र भारमल
6.खंगारा पुत्र रूपा
7.सुरेश पुत्र स्व. पाताराम
8.मेगाराम पुत्र स्व. पाताराम
9.दिनेश पुत्र स्व. पाताराम
10.रमकू पत्नी स्व. पाताराम
11.गीता पुत्र स्व. पाताराम
12.झीणी पुत्र स्व. पातराम
13.पारूदेवी पत्नी स्व. पाताराम
14.मीरा देवी पत्नी प्रभूराम
15.सतीदेवी पत्नी जगाराम जाति कलवी निवासी नई वाली तहसील भीनमाल जिला जालोर
16.सोनाराम पुत्र चौथाराम
17.गुमनाराम पुत्र चौथाराम
18.बालू पुत्र चौथाराम
19.छोगाराम पुत्र चौथाराम जाति विश्नोई निवासी बारूड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
20.राजस्थान राज्य जरिये उप पंजीयक एवं तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
21.मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व वाद संख्या 177/2011 बअनवान मलसिंह बनाम परबतसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री गंगाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 25.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा तहसील गुड़ामालानी के ग्राम सिन्धासवा वर्तमान राजस्व ग्राम बारूड़ी में खेत खसरा संख्या 353 रकबा 72.16 बीघा, खसरा संख्या 499 रकबा 44.05 बीघा, खसरा संख्या 413 रकबा 22.05 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एवं खसरा संख्या 411 रकबा 20.01 बीघा एवं अन्य खसरे अपीलाकर्ता/वादी एवं स्व. मानसिंह गोद देवीसिंह की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुए और इन चारों खेतों में स्व. मानसिंह गोद देवीसिंह के गोद पिता एवं उतरदाता संख्या 2 के पति का 3/5 हिस्सा एवं अपीलकर्ता का 2/5 हिस्सा खातेदारी में स्पष्ट एवं निर्विवाद रूप से दर्ज था और इसी हिस्सा अनुरूप अपीलकर्ता अपनी 2/5 हिस्सा की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों एवं वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों का लेशमात्र भी अध्ययन नहीं किया है बल्कि सरसरी तौर से उतरदाता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित सारहीन एवं प्रमाण रहित उजरात को आधार माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में उतरदाता के प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी को मंजूर करने के जो जो आधार बताये है वे आधार काल्पनिक एवं प्रमाण रहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबलि निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी में 2/5 हिस्सा अपीलांट का तथा रेस्पोडेंट का 3/5 हिस्सा था। रेस्पोडेंट ने अपने हिस्से 3/5 में ज्यादा भूमि का विक्रय कर दिया गया। अपने हिस्से से अधिक बेचने का अधिकार किसी खातेदार को नहीं है। बेचान मेरे हिस्से तक शून्य व निष्प्रभावी करने का कहा था निरस्त का प्रार्थना–पत्र नहीं दिया। बहामी बंटवाड़े का अस्तित्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये तकनीकी बिंदुओं के आधार पर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मनमाने तरीके से पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2011(2) Page 1203

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त सेटलमेंट मानसिंह व धर्मसिंह का पर्चा लगान कुल 293.19 बीघा का जारी हुआ था। धर्मसिंह को रकबा 117.12 बीघा का एवं मानसिंह को रकबा 176.07 बीघा का बहामी बंटवाड़ा किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गया था। वादग्रस्त आराजी का बेचान सन् 1971 व 1978 में किया गया। वादग्रस्त आराजी का बेचान कब्जे के अनुसार किया गया। उक्त विक्रय विलेख आज भी प्रभाव में है। बेचानपत्रों को सिविल कोर्ट में खारीज किये बिना राजस्व न्यायालय में वाद नहीं ला सकते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2013 को पारित किया हुआ है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्णय व आदेश की जानकारी ज्योंही अपीलाकर्तागण को हुई तो उसी समय अपीलकर्तागण की ओर से दिनांक 29.07.2013 को आवश्यक प्रकृति का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 01.08.2013 को प्राप्त हुई है और तत्पश्चात अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था में लगे रहे और साथ ही अपनी आजीविका निर्वहन हेतु काश्त के कार्य में भी व्यस्त रहे है। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील मियाद बाहर है तथा मियाद को कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2019(1) Page 306
RRT 2019(2) Page 780
RRD 2012 Page 276
RRD 2020 Page 01

अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट सद्भावी क्रेता तथा वक्त बेचान वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त है। रजिस्टर्ड बेचान आज भी प्रभावी है जिसे किसी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया। वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत विक्रय विलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बेचानों के सम्बंध में धर्मसिंह ने अपने जीवन काल में कोई ऐतराज नहीं किया और न उसके वारिसान ने इस वाद से पूर्व कभी ऐतराज किया। अपीलांटगण एवं उनके पिता ने अपीलाधीन आराजी के कब्जा प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं की। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है: और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण को न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व वाद संख्या 177/2011 बअनवान मलसिंह बनाम परवतसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2013 को यथावत रखा जाता है।

25/2/20

(नाथूसिंह भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/2/20

राजस्व अपील प्राधिकारी.
बाड़मेर

Scanned by CamScanner